रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052024-254183
CG-DL-E-13052024-254183

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1887] नई दिल्ली, सोमवार, मई 13, 2024/वैशाख 23, 1946
No. 1887] NEW DELHI, MONDAY, MAY 13, 2024/VAISAKHA 23, 1946

indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2024

का.आ. 1980(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसरण में, संख्या का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश(जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

(i) श्री. बी श्रीधर, -अध्यक्ष;
फ्लैट नंबर: 302, जीईवी राधा माधव अपार्टमेंट, पॉली क्लिनिक रोड,
सिद्धार्थ नगर, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश – 500010

(ii) प्रो. एम. चन्द्र शेखर -सदस्य;
निदेशक, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज
टेक्नोलॉजीज, नुज्विद-521202

(iii) सरकार के विशेष सचिव, पर्यावरण, वन, सदस्य- सचिव।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्राधिकरण, पैरा 6 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय लेगा।

5. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में लिए जाएंगे और साधारण रुप से सर्वसम्मत होंगे

परंतु यदि विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जाता है, टीका-टिप्पणी के ब्यौरे दुबारा सुनवाई के लिए कार्यवृत्त में स्पष्ट रुप से अभिलिखित किए जाएंगे और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेज दी जाएगी ।

6 केंद्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श में प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं, अर्थात्: -

(i)	प्रो. चो. अप्पा रॉव प्रोफेसर बायेकेमेस्ट्री विभाग श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, तिरुपति 517502, आंध्र प्रदेश	अध्यक्ष
(ii)	डॉ एन चिट्टी बाबू प्रोफेसर केमिकल इंजीनियरिंग विभाग, ए यू कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, आंध्र यूनिवर्सिटी, विशाखापट्टनम	-सदस्य;
(iii)	प्रो. वेमू श्रीनिवासूलू फलैट नं. टी3, ए टाइप क्वार्टर, जवाहर लाल नेहरु टेक्नोलोजीकल यूनिवर्सिटी, काकीनाड- 533003	-सदस्य;
(iv)	प्रो. बी. रमैया कुबेर प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ फरमास्यूटिकल टेक्नोलोजी, श्रीपदमावति महिला विश्वविद्यालयम (महिला यूनिवर्सिटी) तिरुपति-517502, आंध्र प्रदेश	-सदस्य;
(v)	प्रो. वाई . श्रीनिवासा राव जियोसाइंस विभाग, आदिकवि नन्या यूनिवर्सिटी, राजामुंद्री – 533296	-सदस्य;
(vi)	श्री. बी. सिवा प्रसाद फलैट सं. 305, ईस्ट विंग एसवीएसएस निवास रोड़ सं. 1, सीजैक कालोनी सुनथ नगर, हैदराबाद- 500018	-सदस्य;
(vii)	श्रीमति सरावनी दुववरी सहायक प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग विभाग राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नालेज टेक्नालोजी- नुजविद, ऐलूरू जिला, आंध्र प्रदेश- 521202	-सदस्य;

IndiaCode

(viii) प्रो. जी. गिरिजा शंकर -सदस्य;
प्रो. फर्मास्यूटिकल साइंसिज, आंध्र यूनिवर्सिटी, विशाखापट्पनम- 530003

(ix) प्रो. आर. ऊषा -सदस्य;
बायोटेक्नोलोजी विभाग,
श्रीपदमावति महिला विश्वविद्यालयम, (महिला यूनिवर्सिटी)
तिरुपति- 517502, आंध्र प्रदेश

(x) प्रो.वी सुनिथा -सदस्य;
प्रोफेसर
जियोलोजी विभाग, योगी विमाना यूनिवर्सिटी
कडप्पा-516005, आंध्र प्रदेश

(xi) प्रो. आई वी रमन्ना रेड्डी -सदस्य;
प्रोफेसर
सिविल इंजीनियरिंग विभाग
श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ इंजीनियरिंग
तिरुपति- 517502

(xii) डा. बी. मधुसूदना रेड्डी -सदस्य;
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति
5वीं फ्लोर, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली- 110006

(xiii) प्रो. जी.वी. सुब्बा रेड्डी, डी.सं. 28-3-160/फ्लैट सं. 103, -सदस्य;
श्रीसाई राम कर्म्फट, तारखनाथ कालोनी, साई कालेज रोड़, अनंतपुर
515001 आंध्र प्रदेश

(xiv) चीफ एन्वारेनमेंटल इंजीनियर - सदस्य- सचिव।
आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
डा. वाईएसआर पर्यावरण भवन, एपीआईआईसी कालोनी रोड़, गुरुनानक
कालोनी, आटो नगर, विजयवाड़ा-520007

7. समिति के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कृत्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

10. हित के किसी विरोध से बचने के लिए, प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा समिति -

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से जुड़े हैं;

(ख) ऐसी परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंध योजना को तैयार करने के संबंध में कोई परामर्श नहीं करेंगे या सहयोग नहीं करेंगे जिसका प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जाना है या समिति द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान मूल्यांकन किया जाना है ; और

(ग) यदि पिछले पाँच वर्षों में किसी भी परियोजना के प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन प्रदान करता है, उस घटना में ऐसे प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में वे खुद को प्राधिकरण या समिति की बैठकों से हटा देंगे ।

11. आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी जो सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उक्त् अधिसूचना के अधीन उसके कृत्यों के संबंध में अन्य प्रसुविधा भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

12. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक की फीस, यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

[फा. सं. जे 11013/36/2007—आईए.II(I)]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2024

S.O. 1980(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following persons, namely: -

(i) Sri. B. Sreedhar, -Chairman;

Flat No: 302, GEV Radha Madhav Apartment, Poly Clinic Road, Siddartha Nagar, Vijayawada, Andhra Pradesh - 500010

(ii) Prof. M Chandra Sekhar -Member;

Director, Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies, Nuzvid-521202

(iii) Special Secretary to the Government, in the Environment, Forests, Science and Technology Department, Government of Andhra Pradesh -Member- Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6.

5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof shall be sent to the Central Government.

6. The Central Government, in consultation with the State Government of Andhra Pradesh, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following persons, namely: -

(i)	Prof. Ch. Appa Rao Professor Department of Biochemistry Sri. Venkateswara University, Tirupati 517502, AP	-Chairman;
(ii)	Dr.N Chitti Babu Professor Department of Chemical Engineering, AU College of Engineering, Andhra University, Visakhapatnam	-Member;
(iii)	Prof. Vemu Sreenivasulu, Flat No T3, A Type Quarters, Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada-533003	-Member;
(iv)	Prof. B. Ramya Kuber Professor Institute of pharmaceutical Technology Sri. Padmavati Mahila Visvavidyalayam (Women's University), Tirupati-517502, Andhra Pradesh	-Member;
(v)	Prof. Y. Srinivasa Rao Department of Geosciences, Adikavi Nannaya University, Rajahmundry -533296	-Member;
(vi)	Sri B. Siva Prasad Flat No.305, East Wing SVSS Nivas Road No1, Czech Colony, Sananth Nagar, Hyderabad-500018	-Member;
(vii)	Smt.Sravani Duvvuri Assistant professor Civil Engineering Department Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies -Nuzvid, Eluru district, A.P-521202	-Member;
(viii)	Dr. G. Girija Shankar Professor, Pharmaceutical Sciences, Andhra University, Visakhapatnam- 530003	-Member;
(ix)	Prof. R. Usha Department of Biotechnology Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam, (Women's University) Tirupati-517502, Andhra Pradesh	-Member;
(x)	Prof. V. Sunitha Professor Department of Geology, Yogi Vemana University Kadapa-516005, Andhra Pradesh	-Member;
(xi)	Prof. I.V. Ramana Reddy Professor Department of Civil Engineering Sri Venkateswara University College of Engineering Tirupati-517502	-Member;
(xii)	Dr. B. Madhusudhana Reddy Delhi Pollution Control Committee 5th Floor, ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi-110006	-Member;
(xiii)	Prof.G. V.Subba Reddy, D.No:28-3-160/ Flat No: 103, Sri Sairam Comforts, Tarakanath colony, Sai College Road, Anantapur 515 001, A.P.)	-Member;
(xiv)	Chief Environmental Engineer, Andhra Pradesh Pollution Control Board Dr. YSR Paryavaran Bhavan, APIIC Colony Road, Gurunanak Colony, Auto Nagar, Vijayawada -520007	-Member-Secretary.

7. The Chairman and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if consensus cannot be reached the view of the majority shall prevail.

IndiaCode

10. In order to avoid any conflict of interest, the Chairman and Members of the Authority and the Committee shall-

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority, or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(c) if in the preceding five years, has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, they shall recuse themselves from the meetings of the Authority or Committee from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

11. The State Government of Andhra Pradesh shall specify an agency to act as secretariat of the Authority and the Committee which shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

12. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Andhra Pradesh.

IndiaCode

[F. No. J-11013/36/2007-IA-II(I)]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.05.13 22:24:50 +05'30'